

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3396-पीबीआर/16 विरुद्ध सूचना पत्र दिनांक 19-9-2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त 3 हुजूर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 06/अ-12/2015-16.

सी.आई.हाईटस रहवासी कल्याण समिति द्वारा सचिव-
सुखदेव चुघ आत्मज एच.आर. चुघ
निवासी फ्लैट नम्बर सी 303
सी.आई.हाईटस अकबरपुर, कोलार रोड
भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- श्रीमती सुमन गौड पत्नी शिवकुमार गौड
निवासी बी-13, सिंधी भवन के पीछे
शिवाजी नगर ग्राम अकबरपुर, पटवारी हल्का-नं. 30
तहसील हुजूर जिला भोपाल
- 2- साहब लाल मोहने आत्मज गेन्दुलाल मोहने
निवासी मकान नम्बर 112 बाबा नगर
सी-सेक्टर, शाहपुरा जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे0पी0 शर्मा,अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त 3 हुजूर जिला भोपाल द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 19-9-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 171 रकबा 0.070 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, वृत्त 3 हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक

06/अ-12/2015-16 दर्ज किया जाकर सूचना पत्र क्रमांक क्यू/सीमांकन/2016 दिनांक

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19-9-2016 जारी किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी इसी सूचना पत्र के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रश्नाधीन भूमि मास्टर प्लान में होकर मौके पर 80 फीट चौड़ा रास्ता है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि मास्टर प्लान में होकर मौके पर सड़क है, जिस पर स्थानीय निवासी आना-जाना करते हैं । चूंकि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसका फायदा उठाकर वे सड़क पर कब्जा करना चाहते हैं ।

(2) अनावेदकगण की भूमि के मेड़ पड़ोसी वरुण मलिक की भूमि स्थित है, और उपरोक्त भूमियों को 80 फीट चौड़ा रास्ता के लिए अधिग्रहण किया गया है, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होने से उसका सीमांकन नहीं किया जा सकता है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि को 80 फीट चौड़ा रास्ते के रूप में भू-अर्जन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाता है तब अनावेदकगण तार फेंसिंग कर रास्ता रोक देंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को आने-जाने में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा ।

(4) संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन की शक्तियां राजस्व निरीक्षक को प्राप्त हो चुके हैं, अतः तहसीलदार द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 14-9-2016 निष्प्रभावी एवं अधिकारिता विहीन है ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में आवेदक द्वारा कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत की गई थी कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है, इसके बावजूद भी आवेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है ।

(6) राजस्व निरीक्षक द्वारा मेड़ पड़ोसी वरुण मलिक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किये बिना कार्यवाही की जा रही है, इसलिए उक्त कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात ही सीमांकन किया जाना चाहिए, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी सूचना पत्र निरस्त किये जाने योग्य


है ।




4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन के लिए जारी सूचना पत्र को चुनौती दी गई है, जबकि राजस्व निरीक्षक, राजस्व अधिकारी नहीं है, इसलिए यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि जब कोई बिल्डिंग (मल्टी) बनती है तो उसके लिए सर्विस रोड होती है। इस आधार पर कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा कोई रास्ता नहीं रोका जा रहा है, और वे अपनी भूमि का सीमांकन करा रहे हैं, जिसका उन्हें विधिक अधिकार है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी मात्र प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने की सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और प्रश्नाधीन भूमि का अभी सीमांकन नहीं हुआ है, अतः सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर आवेदक को प्राप्त है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि किसी भी अभिलिखित भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार प्राप्त है और मात्र भविष्य में विकास के आधार पर अनावेदकगण को अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने से रोका नहीं जा सकता है। वैसे भी सीमांकन से न तो किसी के अधिकार उद्भूत होते हैं और न ही समाप्त होते हैं। आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पर सड़क का निर्माण होना है, क्योंकि सड़क का निर्माण होना पृथक विषय है, जिस पर इस प्रकरण में विचार किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर